मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 486 /94/सीसी/17/38 भोपाल,दिनांक 7-4-17

प्रति,

1. कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
4. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
5. कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
7. कुलपति राजीव गांधी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल।
8. कुलपति, महात्मा गॉधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना
9. कुलपति, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, चूनाभट्टी, भोपाल
10. कुलपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन
11. कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आधारताल, जबलपुर
12. कुलपति, राष्ट्रीय विधि संस्थान, विश्वविद्यालय, भोपाल
13. कुलपति, मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर
14. कुलपति, विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
15. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल
16. कुलपति, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
17. कुलपति, म.प्र.आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर
18. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल।
19. कुलपति, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय,सांची, रायसेन।
20. कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर।
21. कुलपति, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू।
22. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
23. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
24. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल
25. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, भोपाल।
26. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
27. अध्यक्ष, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
28. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तवा काम्प्लेक्स विठ्ठल मार्केट, भोपाल।
29. क्षेत्रीय निदेशक,एन.सी.टी.ई. डब्ल्यू आर सी, श्यामला हिल्स भोपाल।
30. क्षेत्रीय निदेशक, ए.आई.सी.टी.ई. श्यामला हिल्स, भोपाल।
31. क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल।
32. विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा–3 मंत्रालय।

विषयः–विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 93 वीं बैठक दिनांक 19.04.17 का आयोजन विषयक।

संदर्भः–विभाग का पत्र क्र. 283 दिनांक 27.02.17

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अनुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 93 वीं बैठक मा. कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.17 को प्रातः 11.00 बजे राजभवन, भोपाल में आयोजित की गई थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर अब दिनांक 19.04.17 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गई है। बैठक की कार्यसूची पृथक से भेजी जावेगी।

कृपया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(आशीष उपाध्याय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

पृ..कमांक 467/94/सीसी/17–अडतीस भोपाल, दिनांक 7-4-17

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. आईटी सेल प्रभारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा, भोपाल। कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7.4.17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

Pl. E. mail कर दें।
Upload नहीं कराना है।

jan 2016

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 490 / 94 / सीसी / 17 / 38 भोपाल,दिनांक 7.4.17

प्रति,

1. कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
3. कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
4. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
5. कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
7. कुलपति राजीव गांधी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बायपास रोड, गांधी नगर, भोपाल।
8. कुलपति, महात्मा गॉधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना
9. कुलपति, म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, चूनाभट्टी, भोपाल
10. कुलपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन
11. कुलपति जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आधारताल, जबलपुर
12. कुलपति, राष्ट्रीय विधि संस्थान, विश्वविद्यालय, भोपाल
13. कुलपति, मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर
14. कुलपति, विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
15. कुलपति, माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल
16. कुलपति, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
17. कुलपति, म.प्र.आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर
18. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल।
19. कुलपति, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय,सांची, रायसेन।
20. कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर।
21. कुलपति, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू।
22. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
23. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल।
24. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल
25. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
26. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
27. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
28. अध्यक्ष, म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
29. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तवा काम्प्लेक्स बिठ्ठन मार्केट, भोपाल।
30. क्षेत्रीय निदेशक,एन.सी.टी.ई. डब्ल्यू आर सी, श्यामला हिल्स भोपाल।
31. क्षेत्रीय निदेशक, ए.आई.सी.टी.ई. श्यामला हिल्स, भोपाल।
32. क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल।
33. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा–3 मंत्रालय।

विषयः–विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 93 वीं बैठक दिनांक 19.04.17 की कार्यसूची ।

संदर्भः–विभाग का पत्र दिनांक 07.04.17

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अनुसार विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 93 वीं बैठक मा. कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.04.17 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गई है। बैठक की कार्यसूची संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ.अजय प्रकाश खरे) 7.4.17
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
म0प्र0शासन,उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

jan 2016

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 93 वीं बैठक

कार्यसूची

भोपाल, बैठक दिनांक 19.04.17

विश्वविद्यालय समन्वय समिति 93 वीं बैठक कार्यसूची

दिनांक :– 19.04.17 समयः–12.00 बजे

स्थानः– राजभवन मीटिंग हाल

1.	विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	01
2.	विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन	02

अनुसमर्थन प्रस्ताव

क्र.	विषय	पृ.क्र.
3.	नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शिका सत्र 2017–18 का प्रकाशन किये जाने विषयक।	03
4.	गुरू गोविन्द सिंह एजूकेशन सोसायटी, जबलपुर द्वारा संचालित अशासकीय माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर के पाठ्यक्रमों की निरंतरता के संबंध में।	04
5.	सत्र 2017–18 में एनसीटीई के पाठयक्रमों बी.एड., एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड एमएड (एकीकृत), बीए बीएड , बीएससी बीएड एव बीएलएड (एकीकृत) पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं काउंसलिंग तिथियों में संशोधन का अनुमोदन विषयक।	05
6.	मूक और बधिर विद्यार्थियों हेतु एनसीटीई की मार्गदर्शिका 2017–18 में आरक्षण का प्रावधान बाबत्। (मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 1383)	06

सामान्य प्रस्ताव

क्र.	विषय	पृ.क्र.
7.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा वाहन भत्ते की राशि रू. 300 के स्थान पर 500 किये जाने के संबंध में वित्त विभाग की अनुशंसा बाबत्।	07–08
8.	विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्रदाय की जाने वाली (Consultancy Services) के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश के संबंध में।	09

9.	प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रचलित अध्यादेशों एवं परिनियमों में एकरूपता हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन।	10–11
10.	अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि – अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ।	12
11.	सत्र 2016–17 से Choice Based Credit System प्रारंभ करने विषयक– विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।	13
12.	दीक्षांत समारोह (Convocation Function) में छात्रों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाली गणवेश (Uniform) में परिवर्तन के संबंध में।	14–15
13.	विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों से संबंध स्थापित करने हेतु Memoramdum of Understanding के प्रस्तावित अध्यादेश के संबंध में।	16–17
14.	University Management System के संबंध में ।	18
15	एमेरिट्स प्रोफेसर, ब्लॉक ग्रांट, स्ववित्तीय योजना अंतर्गत संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।	19
16	प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू सेमेस्टर पद्धति के संबंध में।	20
17	लंबित ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के संबंध में।	21
18	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	22
19	अध्यादेश/परिनियम	

दिनांक 20.03.17 को स्थायी समिति की बैठक डॉ. संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक 216 में सम्पन्न हुई । बैठक में सदस्यगणों की उपस्थिति **परिशिष्ट "एक"** अनुसार रही।

(2) अध्यक्ष की अनुमति से आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं सचिव, स्थायी समिति द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ एजेण्डा अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

विषय क. 1 विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

(परिशिष्ट क 02. पृ.क्र 25–92)

प्रस्ताव–

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं बैठक दिनांक 16.11.16 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क. 2 विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन।

(परिशिष्ट क. 03 पृ.क्र. 93– 103)

प्रस्ताव–

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं बैठक दिनांक 16.11.16 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही के पालन प्रतिवेदन की पुष्टि हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्र – 3.नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शिका सत्र 2017–18 का प्रकाशन किये जाने विषयक।

(परिशिष्ट क्र. 04 पृ.क्र. 104–142)

प्रस्ताव –

सत्र 2017–18 में नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता संबंधी मार्गदर्शिका सत्र 2017–18 का प्रकाशन किये जाने विषयक विभागीय प्रस्ताव पर, माननीय कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति के आयोजन की प्रत्याशा में अनुमति दी गई है।

प्रकरण अनुसमर्थन हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुशंसा – महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन का अनुसमर्थन किये जाने की स्थायी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत ।

विषय क – 4.गुरू गोविन्द सिंह एजूकेशन सोसायटी, जबलपुर द्वारा संचालित अशासकीय माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर के पाठ्यक्रमों की निरंतरता के संबंध में।

(परिशिष्ट क.05 पृ.क्र.143)

प्रस्ताव –

सत्र 2016–17 में अशासकीय माता गुजरी महिला महाविद्यालय, जबलपुर के निरंतरता के पाठ्यक्रम बी.काम.आनर्स (तृतीय वर्ष) के संबंध में विभागीय प्रस्ताव पर, माननीय कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति के आयोजन की प्रत्याशा में अनुमति दी गई है।

प्रकरण अनुसमर्थन हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुशंसा – महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन का अनुसमर्थन किये जाने की स्थायी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत ।

विषय क – 5 सत्र 2017–18 में एनसीटीई के पाठयक्रमों बी.एड., एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड, (एकीकृत) बीए बीएड, बीएससी बीएड एव बीएलएड (एकीकृत) पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं काउंसलिंग तिथियों में संशोधन का अनुमोदन विषयक।

(परिशिष्ट क.06 पृ.क्र.144)

प्रस्ताव –

सत्र 2017–18 में एनसीटीई के पाठयक्रमों बी.एड., एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड, (एकीकृत) बीए बीएड, बीएससी बीएड एव बीएलएड (एकीकृत) पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं काउंसलिंग तिथियों में संशोधन विषयक विभागीय प्रस्ताव पर, माननीय कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति के आयोजन की प्रत्याशा में अनुमति दी गई है।

प्रकरण अनुसमर्थन हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुशंसा – महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन का अनुसमर्थन किये जाने की स्थायी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत ।

विषय क – 6. मूक और बधिर विद्यार्थियों हेतु एनसीटीई की मार्गदर्शिका 2017–18 में आरक्षण का प्रावधान बाबत्।

(परिशिष्ट क.07 पृ.क्र.145)

प्रस्ताव –

सत्र 2017–18 में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निःशक्तजन के लिए आरक्षित 03 प्रतिशत स्थान के भीतर मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित (मूक बधिर) एवं अस्थि बाधित अभ्यार्थियों हेतु आरक्षण का प्रावधान करने विषयक विभागीय प्रस्ताव पर, माननीय कुलाधिपति जी द्वारा विश्वविद्यालय समन्वय समिति के आयोजन की प्रत्याशा में अनुमति दी गई है।

प्रकरण अनुसमर्थन हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुशंसा – महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन का अनुसमर्थन किये जाने की स्थायी समिति द्वारा अनुशंसा की गयी।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत ।

विषय क्र – 7 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा वाहन भत्ते की राशि रू. 300 के स्थान पर 500 किये जाने बाबत्।

(परिशिष्ट क्र.08 पृ.क्र.146–153)

प्रस्ताव –

कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.03.15 में वाहन भत्ता की राशि रूपये 300/– के स्थान पर रूपये 500/– प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव मान्य किया गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकार किया जाना है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को वाहन भत्ता रू. 200/– निर्धारित है।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा – विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वाहन भत्ता बढ़ाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया। मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 343/सी.आर. 1301/ब–3/चार/2015 दिनांक 09.12.2015 इस वृद्धि पर असहमति व्यक्त करते हुए घटाकर रू0 200/– प्रतिमाह दर निर्धारित किये जाने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 81 वीं बैठक दिनांक 26.06.2009 में विषय क्र. 21 में लिए गए निर्णयानुसार रू. 300 प्रतिमाह दिये जाने की अनुमति दी गई थी।

अतः स्थायी समिति ने वाहन भत्ता दर रू 300/– दिये जाने हेतु वित्त विभाग/म.प्र. शासन से स्वीकृति प्राप्त कर पूर्ववत रखने की अनुशंसा की है।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय–

समन्वय समिति द्वारा पूर्ववत् रू. 300/– वाहन भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त निर्णय के उपरांत प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर सहमति हेतु प्रेषित किया गया। वित्त विभाग द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रस्ताव पर राज्य शासन के समान कर्मचारियों को 200 रू. वाहन भत्ता रखने का परामर्श दिया गया।

प्रकरण पुनः वित्त विभाग भेजा गया परन्तु वित्त विभाग द्वारा शासन के अधीन समस्त संस्थाओं के एक समान भत्ते रहे, यह उचित होगा। अतः वित्त विभाग अपने पूर्व अभिमत दिनांक 30. 11.16 पर स्थिर है अभिमत दिया गया है।

चूंकि वर्ष 2009 से रू. 300 वाहन भत्ता दिया जा रहा है और वित्त विभाग के अभिमत अनुसार रू. 200 दिया जाना है।

प्रकरण पुनः स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति ने प्रकरण पर विचार किया तथा सर्वसम्मति उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में होने वाली आगामी समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.04.17 में रू. 300 वाहन भत्ता दिये जाने पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

विषय क – 8 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्रदाय की जाने वाली (Consultancy Services) प्रस्तावित नवीन अध्यादेश के संबंध में।

(परिशिष्ट क.09 पृ.क्र.154–165)

प्रस्ताव –

अध्यक्ष, स्थायी समिति के प्रस्ताव अनुसार गठित उपसमिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा अपने विषय/प्रोफेशन से संबंधित Consultancy Services प्रदान की जाती है परन्तु इस संबंध में पूर्व से कोई भी अध्यादेश प्रस्तावित नहीं है। इसके निराकरण हेतु प्रस्तावित अध्यादेश समुचित प्रावधान सहित विचारार्थ प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति के समक्ष चर्चा में यह बिन्दु आया कि यूजीसी के द्वारा इस विषय पर विनियम जारी किये गये है। यूजीसी के द्वारा जारी पत्रों के आलोक में प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय –

समन्वय समिति द्वारा यूजीसी विनियम के आधार पर पूर्ण परीक्षण उपरांत प्रस्ताव आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार स्थायी समिति की उपसमिति द्वारा यूजीसी के द्वारा जारी पत्रों के आलोक में प्रस्ताव का परीक्षण कर वर्तमान Consultancy Services का अध्यादेश तैयार कर प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति द्वारा बैठक में अनुरोध किया गया कि Consultancy Services के अध्यादेश के प्रारूप का एकरूपता समिति परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत ।

विषय क्र – 9. प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रचलित अध्यादेशों एवं परिनियमों में एकरूपता हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन।

(परिशिष्ट क्र.10 पृ.क्र.166–169)

प्रस्ताव –

अध्यक्ष, स्थायी समिति के प्रस्ताव अनुसार गठित उपसमिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि समस्त विश्वविद्यालयों में विभिन्न अध्यादेशों एवं परिनियमों को जिनमें समानता हो सकती है उन्हें समानरूप से सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जावे।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति द्वारा अध्यादेश/परिनियमों में एकरूपता हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और यह अनुशंसा की गई कि इस पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है तथा समिति से अनुरोध किया गया कि आगामी बैठक में विषमताओं की सूची भी तैयार कर विचार हेतु रखेंगे।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय –

समन्वय समिति द्वारा स्थायी समिति की अनुशंसा को मान्य किया गया।

स्थायी समिति की उपसमिति द्वारा परीक्षण कर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यादेश क्र. 1 से 10 तक जो समान है एवं अध्यादेश क्र. 11 से 16 तक समान करने के लिए तैयार किया गया है सूची संलग्न है।

इसी प्रकार परिनियम क्र. 01 से 42 समान रूप से तैयार कर उपलब्ध कराया गया है जिसकी सूची संलग्न है। विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं में लिए गए निर्णय अनुसार विभिन्न अध्यादेशों एवं परिनियमों में विषमताओं की जानकारी अपेक्षित है जिनको हटाकर एकरूपता स्थापित की गई है।

चूंकि विषमताओं की जानकारी अप्राप्त है अतः प्रस्ताव आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति में विस्तृत चर्चा उपरांत सर्वसम्मति से विभिन्न अध्यादेशों एवं परिनियमों में विषमताओं के संबंध में जानकारी एकत्रित करने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि किन विषमताओं को हटाना है तथा किन विषमताओं को छात्र एवं उच्च शिक्षा के हित में बनाये रखना है, पर स्पष्ट निर्णय लिया जा सके। स्थायी समिति द्वारा पूर्व में गठित समिति में अध्यक्ष, म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को शामिल करते हुए विषमताओं की सूची सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समिति से आग्रह किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण उपरांत भविष्य में स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किय जाने की अनुशंसा की गई।

साथ ही कार्यवाही विवरण के बिषय क्र. 8,9,11 एवं 13 पर भी एकरूपता समिति विचार करें। एकरूपता समिति अपने प्रतिवेदन में उक्त विषयों को सम्मलित करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत ।

विषय क्र – 10. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि – अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

(परिशिष्ट क्र.11 पृ.क्र.170–174)

प्रस्ताव –

कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के प्रस्ताव अनुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.02.16 पद क्र. 3 में लिए गए निर्णय अनुसार अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में दिए जा रहे मानदेय रू. 300 प्रति कालखण्ड अधिकतम रू. 18000/– प्रतिमाह में वृद्धि कर प्रतिकाल खण्ड रू. 400 अधिकतम रू. 24000/– प्रति माह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

स्थायी समिति की उपसमिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि यूजीसी की योग्यता रखने वाले शिक्षकों को प्रति पिरियड 500/– रूपये एवं अन्य को 250/– प्रदान किया जावे । मानदेय की अधिकतम सीमा प्रतिमाह प्रति शिक्षक रू. 25000/ होगी।

विश्वविद्यालय का प्रस्ताव मान्य किये जाने योग्य है। उपसमिति द्वारा यूजीसी की अर्हता न रखने वाले शिक्षकों को 250 रू. प्रदान करना और ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करना अवैधानिक है।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा

स्थायी समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि अतिथि शिक्षकों के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे एवं संविदा शिक्षकों के संबंध में समन्वय समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाए।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

विषय क – 11 सत्र 2016–17 से Choice Based Credit System प्रारंभ करने विषयक – विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

(परिशिष्ट क.12 पृ.क्र.175)

प्रस्ताव –

कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के प्रस्ताव अनुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 01.09.15 में लिए गए निर्णय अनुसार सत्र 2016–17 से समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में Choice Based Credit System लागू किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन अपना प्रस्तुतीकरण बैठक में देंगे।

अनुशंसा–

स्थायी समिति में कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व से लागू है। समिति अवगत हुई। अध्यक्ष, स्थायी समिति द्वारा यह बताया गया कि सीबीसीएस संबंधी प्रस्ताव एकरूपता समिति के प्रस्ताव में भी शामिल है जो एकरूपता समिति के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत ।

विषय क्र – 12. दीक्षांत समारोह (Convocation Function) में छात्रों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाली गणवेश (Uniform) में परिवर्तन के संबंध में।

(परिशिष्ट क्र.13 पृ.क्र. 176–177)

प्रस्ताव –

मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में दीक्षांत समारोह (Convocation Function) में छात्रों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाली गणवेश (Uniform) में परिवर्तन हेतु तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतिगणों की समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन अनुसार दीक्षान्त वेशभूषा में विधि सम्मत परिवर्तन करने हेतु म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत परिनियम क्र. 35 तथा अध्यादेश क्र. 146 में प्रक्रियानुसार संशोधन करना आवश्यक होगा।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति द्वारा कुलपतिगणों से अनुरोध किया गया कि उपरोक्तानुसार गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कम्प्यूटर ग्राफिक्स बनाकर प्रस्तुत करें जिससे स्थायी समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय –

चर्चा प्रारंभ करते हुए मा.मंत्री जी,उच्च शिक्षा द्वारा समन्वय समिति में अनुरोध किया गया कि इस संदर्भ में निश्चित समयावधि में उचित निर्णय ले जिससे कि दीक्षांत समारोह में भारतीय वेशभूषा अगले सत्र से पहनी जा सके। माननीय राज्यपाल महोदय ने समिति को अवगत कराया कि गुजरात के अनेक विश्वविद्यालयों में कुर्ता, पजामा एवं अंगवस्त्र को दीक्षांत समारोह की वेशभूषा के रूप में अंगीकृत कर लिया गया है।

समन्वय समिति उपरोक्त विचारों से अवगत हुई तथा शीघ्र ही कम्प्यूटर ग्राफिक्स को देखकर दीक्षांत वेशभूषा पर निर्णय लिये जाने की सहमति व्यक्त की।

स्थायी समिति की उपसमिति द्वारा दीक्षांत समारोह हेतु वर्तमान प्रचलित वेशभूषा के स्थान पर निम्नानुसार विभिन्न रंगो के जाकेट एवं उत्तरीय प्रस्ताव प्रेषित किया है :–

1. मंचासीन महानुभावों के लिए – (कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य)

जैकेट– ऑफ व्हाईट	उत्तरीय –गोल्डन

2. कार्यपरिषद सदस्यों के लिए –

जैकेट– यलोईश क्रीम	उत्तरीय –मेरून

3. संकायाध्यक्षों के लिए –

जैकेट– यलोईश क्रीम	उत्तरीय –रॉयल ब्ल्यू

4. ऐकेडमिक कॉउंसिल एवं मेम्बर आफ कोर्ट के लिए –

जैकेट– यलोईश क्रीम	उत्तरीय –ग्रे

5. छात्र–छात्राओं के लिए –

सभी विद्यार्थियों के लिए जैकेट– गोल्डन ब्राउन	उत्तरीय –पीएचडी एवं एमफिल के लिए क्रीम स्नातकोत्तर के लिए – लेमन यलो स्नातकों के लिए – ऑरेन्ज

नोट :–(1) सभी उत्तरीय में दोनों तरफ संबंधित विश्वविद्यालय का मोनो अंकित किया जायेगा।

(2) उत्तरीय को जैकेट में बटन के द्वारा लगाया जायेगा

समन्वय समिति की 92 वीं बैठक में कम्प्यूटर ग्राफिक्स को देखकर दीक्षांत वेशभूषा पर निर्णय लिये जाने की सहमति व्यक्त की गई थी। कम्प्यूटर ग्राफिक्स तैयार न होने के कारण प्रकरण आगामी बैठक तक स्थगित किये जाने हेतु स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि गठित उपसमिति द्वारा अपनी अनुशंसा दे दी गई है । उपसमिति का कार्य पूर्ण हो चुका है अतः उच्च शिक्षा विभाग कम्प्यूटर ग्राफिक्स तैयार कर विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

विषय क्र – 13 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों से संबंध स्थापित करने हेतु Memoramdum of Understanding के प्रस्तावित अध्यादेश के संबंध में।

(परिशिष्ट क्र.14 पृ.क्र.178–190)

प्रस्ताव –

अध्यक्ष, स्थायी समिति के प्रस्ताव अनुसार गठित उपसमिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि वर्तमान समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अकादमिक एवं शोध विस्तार एवं सहयोग हेतु राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों विश्वविद्यालयों से आपसी सहयोग के द्वारा शोध कार्य हो रहा है परन्तु इस संबंध में पूर्व से कोई भी अध्यादेश प्रस्तावित नहीं है। इसके निराकरण हेतु प्रस्तावित अध्यादेश समुचित प्रावधान सहित विचारार्थ प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है ।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई तथा इसके अध्यादेश प्रारूप को अन्य समस्त विश्वविद्यालयों को परीक्षण कर अभिमत हेतु भेजा जाए। परीक्षणोपरांत प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय –

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा समिति से अनुरोध किया गया कि एमओयू देश के अतिरिक्त विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से भी किये जाते है अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली की सहमति लिया जाना उचित होगा जिससे कि भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके।

समन्वय समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार Memoramdum of Understanding संबंधी अध्यादेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली को अभिमत हेतु भेजा गया है। अभिमत प्राप्त होने पर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा–

स्थायी समिति द्वारा बैठक में अनुरोध किया गया कि Memoramdum of Understanding के तैयार अध्यादेश के प्रारूप का, एकरूपता समिति परीक्षण कर प्रतिवेदन आगामी स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत ।

विषय क – 14. University Management System के संबंध में ।

(परिशिष्ट क.15 पृ.क्र. 191)

प्रस्ताव –

University Management System के संबंध में स्थायी समिति की उपसमिति द्वारा एक कम्पनी का प्रेजेन्टेशन देखा गया तथा समिति ने महसूस किया कि इस संबंध में अभी अन्य कम्पनियों के और प्रेजेन्टेशन देखा जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकेगा। समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण देखने के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा अतः समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक प्रस्ताव स्थगित रखा जाए।

अनुशंसा –

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा सदस्यों से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त कार्यक्रम शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, गत बैठकों में इस संबंध में 31 मार्च 2017 तक लागू करने पर चर्चा की गई थी। अतः इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.17 को iWeb Technology Solutions Pvt. Ltd. Andheri East, Mumbai का प्रस्तुतीकरण देखा गया। यह संस्था निःशुल्क सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। कम्पनी द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय से किये जाने वाले एमओयू के प्रारूप को सभी विश्वविद्यालयों को प्रेषित कर अभिमत चाहा गया है।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

विषय क्र – 15 – एमेरिट्स प्रोफेसर, ब्लॉक ग्रांट, स्ववित्तीय योजना अंतर्गत संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में ।

(परिशिष्ट क्र.16 पृ.क्र. 192)

प्रस्ताव –

विषयांकित विषयों में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 92 वीं बैठक में एक समिति गठित की जा चुकी है। गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरांत प्रतिवेदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव स्थायी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

अनुशंसा –

स्थायी समिति अवगत हुई एवं गठित समिति से शीघ्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

विषय क्र – 16 – **प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू सेमेस्टर पद्धति के स्थान पर वार्षिक पद्धति लागू करने के संबंध में।**

(परिशिष्ट क्र.17 पृ.क्र.193–194)

प्रस्ताव

मा.मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश द्वारा विद्यार्थी पंचायत में एवं मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा से प्राप्त नोटशीट क्र. 410 दिनांक 09.12.16 अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू सेमेस्टर पद्धति के स्थान पर आगामी सत्र से वार्षिक पद्धति लागू करने हेतु कार्यवाही की जाना है।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21.02.17 को विधान सभा में दिए गए अपने बजट अभिभाषण में घोषणा की कि "अगले शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर सेमेस्टर व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।"

चूंकि सेमेस्टर पद्धति विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार लागू है अतः प्रकरण पुनः समन्वय समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा तद्नुसार प्रकरण स्थायी समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुशंसा –

डॉ.संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, डॉ. प्रियव्रत शुक्ला, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर एवं डॉ.एस.एस.पाण्डेय, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा चर्चा के दौरान सेमेस्टर प्रणाली को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदाय करने एवं आर्थिक कारणों से बनाये रखने पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय राज्यपाल द्वारा स्नातक स्तर पर इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। इस निर्णय को कैसे क्रियान्वित किया जाए, के संबंध में सदस्यों से सुझाव मांगा।

इसके विपरीत अनेक कुलपतिगणों ने शासन के निर्णय से असहमति व्यक्त करते हुए यह अभिमत दिया कि सेमेस्टर प्रणाली को अगले सत्र से समाप्त करने में अनेक अकादमिक, आर्थिक एवं व्यावहारिक कठिनाईयों है। कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट ने सदन से यह अनुरोध किया कि माननीय राज्यपाल महोदय की घोषणा का सम्मान करते हुए सुझावों सहित इसको क्रियान्वयन किये जाने हेतु अनुरोध किया जाए। मा. कुलाधिपति जी को सुझावों से अवगत कराने हेतु स्थायी समिति द्वारा अनुशंसा की गई।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।

विषय क्र– 17 – लंबित ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के संबंध में।

(परिशिष्ट क्र.18 पृ.क्र.195)

प्रस्ताव

मा.राज्यपाल सचिवालय के पत्र दिनांक 22.03.17 के अनुसार कुलपति, समस्त विश्वविद्यालयों को प्रेषित पत्र में विश्वविद्यालय में लंबित ऑडिट आक्षेपों के निराकरण करने हेतु समय–समय पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये किन्तु पत्र में उल्लेखित विश्वविद्यालयों से जानकारी अपेक्षित है। लंबित ऑडिट आक्षेपों की अद्यतन जानकारी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रपत्र में राजभवन को उपलब्ध कराया जाना है।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय क्र – 18– अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

प्रस्ताव –

कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा पुस्तकों के क्रय के संबंध में नियम निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया जिसके संबंध में उन्हें म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।

कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पृथक अधिनियम के तहत् की गई है उसे विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के लाया जाए।

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा यह बताया गया कि पृथक–पृथक अधिनियम से विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का उद्देश्य विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है अतः उन्हें अधिनियम, 1973 के अधीन लाया जाना संभव नहीं है।

कुलपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर द्वारा अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि उनके विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यादेश/परिनियम अंगीकृत किये जाने हेतु स्थायी समिति को भेजे गये थे परन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात् एवं निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया।

कुलपति, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा मेडिकल, पैरामेडिकल संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों को सिर्फ चिकित्सा विश्वविद्यालय से ही संबद्धता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रस्ताव पर स्थायी समिति द्वारा परीक्षण कर आगामी स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने की सहमति व्यक्त की गई।

कुलपति, महर्षि पाणिनी विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में अनुरोध करने पर प्रमुख सचिव महोदय द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया ।

कुलपति, स्वामी विवेकानंद निजी विश्वविद्यालय सागर द्वारा अवगत कराया गया कि निजी विश्वविद्यालयों के कृषि विषय से संबंधित पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा मान्य नहीं किये जा रहे है जिसके कारण अनेक न्यायालयीन प्रकरण उद्भूत हो रहे है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा वस्तुस्थिति ज्ञात करने संबंधी निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव समन्वय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ।